खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी –निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें :– निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे ।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
4. बिक्री कर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance Certificate) :– कोई भी डीलर जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा । बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा ।
5. आयकर शोधन प्रमाण पत्र – निविदादाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से एक आयकर शोधन प्रमाण पत्र निविदाओं के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायगा । पैसिंल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
7. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाऐंगी । इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये । यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये । दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये ।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर (F.O.R.) उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिये । स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाऐगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी । खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपभोग के लिये होते है, इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
9. (i) दरों की तुलना : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिये अधिकृत नहीं है, निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

   (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मो के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
10. मूल्य अधिमान : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी ।
11. विधि मान्यता : निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होंगी ।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है । यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
14. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) :

   (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई. एस. आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिये तथा उस पर वह मार्क होना चाहिये।

   (ii) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या .... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा । क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पुल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिये अन्तिम एवं मान्य होगा ।

   (iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .... दिनों/माहों की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/ या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त

मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे । निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जो को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यादि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो ।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा । निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा हों । मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा । क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसंद कर सकेगा ।

15. निरीक्षण :

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा ।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा । उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये रूप में प्रविष्ट हुये है, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

16. सैम्पुल : अनुसूची मे अंकित वस्तुओं के लिये निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जाएंगे । ऐसे सैम्पुल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे । सैम्पुल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पुल के लिये एक रसीद दी जाएगी । यदि ये सैम्पुल ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिये तथा आर/आर या जी. आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिये । केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिये ।

17. प्रत्येक सैम्पुल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढ़ग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

18. अनुमोदित सैम्पुलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा । इस अवधि में इन सैम्पुलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूटफूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी ।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पुलों को वापस लिया जाएगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पुल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट–फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । जो नमूने वापस नहीं लिये जाएंगे उन्हे समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाऐगा।

20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं । जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गशहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

21. सैम्पुल निकालाना (Drawing Of Samples) : परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पुल लिये जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा । उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा ।

22. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे । यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

23. रद्द करना (Rejection) :

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे भण्डार/क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा ।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

24. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा ।

25. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके । किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता [illegible] जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। [illegible] लिये [illegible] लागत स्वीकार नहीं की जाएगी ।

26. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

27. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

28. (i) सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से .... की अवधि के भीतर .... तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा :–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिये बाध्य होगा । पुनः आदेश (Repeat Order) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिये जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्र की 50% तक की सप्लाई के लिये ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी । यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा ।

29. बयाना राशि (EARNEST MONEY) :

(क) निविदा के साथ .... रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । यह राशि प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए ।

(i) नकद शीर्ष "8443–सिविल निक्षेप – 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए ।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund Of Earnest Money) : असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासाध्य शीघ्र लौटायी जाएगी ।

(ग) बयाना राशि से छूट : उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गयी हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1% की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी ।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समयोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है ।

30. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा –

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है ।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो ।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो ।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) :

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी हैं, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा । प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–
(क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति ।
(ख) बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा ।
(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स,किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
(अ) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1% की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।
(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे ।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण : प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा –
(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा । यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5% की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।
(ii) आर. आर. (R. R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये ।
(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

33. बीमा :
(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे – युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की आपेक्षा नहीं की जाएगी ।
(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

34. भुगतान :
(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर दिया जायेगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिये गये उस संबंध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जाएगा ।
(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित्र प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
(iii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
(iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिये जाऐंगे तथा प्राप्त हुये परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।
(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है : –

(1)	(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	–	2.5%
	(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	–	5%
	(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	–	7.5%
	(घ) विहित अवधि की तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	–	10%

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

(3) परिनिर्धारित क्षति के अधिकतम राशि 10% होगी ।

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है । किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुयी बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुये हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

36. वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूल साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाऐगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी. आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये ।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकार द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो ।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकारी को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
   (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।
   (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
   (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।
   (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

42. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक होतो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा कोटा में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

S.R. FORM 11

DECLRATION BY TENDERER

I/We declare that I am/We are bonafide/Manufaturers/Whole sellers/Sole distributor/ Authorized Dealer/Dealer/Sole Selling/Marketing agent in goods/ stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incrrect then without prejudice to any other action that may be forfeited in full and the tender if any to the extent accpted may be cancelled.

ENGINEERING COLLEGE, KOTA

QUOTATION FORM PART -1

TENDER NO. ECK/ST/PUR/ F - / DUE DATE : __________

SL. NO.	DESCRIPTION REQUIRED		TO BE FILLED BY THE TENDERER
1.	NAME OF THE TENDERER	:	M/S
2.	ADDRESS (WITH TELEPHONE NO.) TELEGRAPHIC	: :	
3.	NAME OF THE DESIGNATION OF THE SIGNATORY	: :	
4.	PLACE OF DELIVERY ON QUOTED RATES (F.O.R.)	: :	
5.	TAXES AGAINST QUOTED RATES (R.S.T./C.S.T.)	 :	
6.	RATE OF EXCISE DUTY IF CHARGED EXTRA	: :	
7.	TERMS OF PAYMENT (SEE IMPORTANT NOTE ATTACHED HERE)	:	
8.	DISCOUNT IF ANY	:	
9.	VALIDITY PERIOD (SPECIFIC DATE)	: :	
10.	INSPECTION SITE	:	*ENGINEERING COLLEGE, KOTA*
11.	MODE OF DESPATCH (SEE IMPORTANT NOTE)	 :	
12.	DELIVERY PERIOD AFTER PLACEMENT OF ORDER	: :	
13.	GUARANTEE IF ANY		
14.	EARNEST MONEY DETAILS (SEE IMPORTANT NOTE)	: : :	D. D. NO. __________ DATE __________ BANK __________ AMOUNT Rs __________

15. ANY OTHER CONDITIONS IF TENDERER WANT TO SPECIFY :

RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA

QUOTATION FORM-II

TENDER NO. RTU/F-42 /RMAT08/13 **DATE:**

Note:

- EMD: DD of Rs. 3200/- in favor of "**RMAT-2008**", Kota
- **Last date of receipt of Tender is 20-08-08 at 3:00 pm**
- Tender opening date: 20-08-08 at 3:30 pm
- Tender fees Rs. 100/- (separate DD in favor of "**RMAT-2008**", Kota) if tender form is downloaded from internet.

	Rate per Unit(in figures)	
	Rate per Unit(in words)	
	Quantity	**2 nos.**
S.No.	**DESCRIPTION (ATTACH LITERATURE/SAMPLE ALSO IF ANY)**	
	UPS 5 KVA Online Parameters Specifications Capacity 5 KVA Backup Time (Full load) Minimum 1 hour Run time at half load To be specified INPUT PARAMETERS i Configuration Single phase & Neutral ii Nominal Voltage 220 Vac iii To handle input Voltage range 180 V to 270 V iv Frequency range- Hz 47 to 54 Hz v High input Power Factor >0.9 at full load and nominal input voltage on resistive load vi Current Distortion (I-THD) Total harmonic distortion <10% OUTPUT PARAMETERS i Configuration Single Phase & Neutral ii Power Factor 0.7 iii Nominal Voltage selection 220 /230 /240 Vac (adjustable) iv Output Voltage Regulation +/-1% v Voltage THD (Total Harmonic Distortion) <2% Linear Load <6% Non Linear Load vi Frequency 50 Hz vii Frequency Regulation- +/-0.05 Hz viii Crest Factor 3:1 max ix External battery voltage 240V DC x Transfer Time-Mains to battery < 1.0 milli sec xi Output waveform True sine wave xii Voltage between Neutral and ground <1 volt xiii Efficiency >90% xiv Out over load capacity 125% up to at least 10 minutes 150% up to at least few seconds	

	-Communication Port RS 232 - Maximum Battery Charging Current < 4.5 Amp -Types of Battery SMF (Exide/ Yuasa/ Amco/ SF) -Monitoring Software Monitoring software on Windows operating system. Event logging: To be provided The UPS should be capable of logging and storing abnormal events for analysis -Output on LCD Display Input voltage, output voltage, Battery voltage, output frequency, % load power, and battery balance autonomy -Qualifying Standards of UPS To be mentioned with certification - Protection Input over/under voltage, Output over/under voltage, Battery over/under voltage, Low battery, Output overload/short circuit, Over temperature, Against Lightening, and over voltage transients. - Manual By-pass switch for protection Required - Battery low alarm Required - Overall efficiency of UPS Required - Over load handling capacity/ Surge current Capacity Required - Noise (within 1 meter) < (45 to 55db) - Operating Environment Temperature Up to 40 deg C - Operating environment humidity Up to 95 % - UPS unit and Battery bank units To be provided with castor wheels For easy maneuverability and movement - Additional switch gear to be supplied Input MCB, output MCB, Battery breaker - Optional Feature Isolation transformer

PLACE: SIGNATURE:

DATE: SEAL:

F.O.R.: RMAT stores, RTU, KOTA
Taxes:
Payment:
Warranty:Two years
Post warranty AMC: Rs.________